बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक सं०–पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 11 पटना, दिनांक– 28/02/17

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में दसवीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उर्त्तीण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू० 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्तिका देने हेतु कुल रू 42,96,30,000/– (रूपये बेयालिस करोड छियान्वे लाख तीस हजार) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उर्त्तीण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू० 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्तिका देने हेतु बजट उपबंधित कुल रू 42,96,30,000/– (रूपये बेयालिस करोड छियान्वे लाख तीस हजार)मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा के कूट संख्या–3401 छात्रवृत्ति/वजीफा, राज्य योजना स्कीम कोड– BCW-5461 विपत्र कोड– P2225032770101" के अधीन कुल बजट प्रावधान रू 42,96,30,000/– (रूपये बेयालिस करोड छियान्वे लाख तीस हजार)मात्र से विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें एवं इस योजना के नियंत्रित पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4– साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगें कि निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाय।

5– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2016 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उर्त्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जो वर्ष 2016 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उर्त्तीण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, जाति प्रमाण–प्रत्र, प्रवेश–पत्र, अंकपत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आधार संख्या, बैंक अकाउंट की छाया प्रति एवं संबंधित छात्रों की अभिभावक की वार्षिक आय रू 1,50,000/– (रू एक लाख पचास हजार) या रू 1,50,000/– (रू एक लाख पचास हजार)मात्र से कम हो का आय प्रमाण–पत्र की आवश्यक जाँचोपरांत उचित पहचान कर एक मुश्त राशि रू 10,000/–(रू दस हजार) मात्र का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में हस्तानांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

7–जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी/भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र FORM-BTC-42(A) उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे साथ ही अव्यवहृत अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पण करना सुनिश्चित करेंगें।

कृ०पृ०उ०

8– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को ही मेधावृत्ति का लाभ दिया जाय।

9– प्रस्ताव में माननीय उपमुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री का सहमति प्राप्त है।

10– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु०– **यथोपरि।**

28.2.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व० / मु०मेधा०–40–07 / 2015– 11 पटना, दिनांक– 28/02/17

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव के आप्त सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना / सभी उप विकास आयुक्त / सभी उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व० / मु०मेधा०–40–07 / 2015– 11 पटना, दिनांक– 28/02/17

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व० / मु०मेधा०–40–07 / 2015– 11 पटना, दिनांक– 28/02/17

प्रतिलिपि–माननीय उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28.2.17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व० / मु०मेधा०–40–07 / 2015– 11 पटना, दिनांक– 28/02/17

प्रतिलिपि–श्री विजय कुमार, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28.2.17
सरकार के सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त वर्ष 2016 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़े वर्गों के छात्रों की जिला बार सूची एवं स्वीकृति राशि की विवरणीः–

प्रमण्डल का नाम	क्र0	जिला का नाम	रौल कोड	छात्रों की संख्या	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
पूर्णियाँ	1	पूर्णियाँ	11001	474	4740000
	2	अररिया	12001	572	5720000
	3	किशनगंज	13001	131	1310000
	4	कटिहार	14001	395	3950000
मुंगेर	5	मुंगेर	21001	1152	11520000
	6	जमुई	22001	623	6230000
	7	लखीसराय	23001	746	7460000
	8	शेखपुरा	24001	407	4070000
	9	खगड़िया	25001	1181	11810000
	10	बेगुसराय	26001	992	9920000
भागलपुर	11	भागलपुर	31001	1416	14160000
	12	बाँका	32001	1209	12090000
कोशी	13	सहरसा	41001	731	7310000
	14	सुपौल	42001	869	8690000
	15	मधेपुरा	43001	1149	11490000
तिरहुत	16	मुजफ्फरपुर	51001	836	8360000
	17	सीतामढ़ी	52001	722	7220000
	18	वैशाली	53001	1310	13100000
	19	प0 चम्पारण	54001	1450	14500000
	20	पू0 चम्पारण	55001	1434	14340000
	21	शिवहर	56001	163	1630000
दरभंगा	22	दरभंगा	61001	837	8370000
	23	मधुबनी	62001	1726	17260000
	24	समस्तीपुर	63001	1925	19250000
पटना	25	पटना	71001	1993	19930000
	26	नालंदा	72001	2533	25330000
	27	भोजपुर	73001	2272	22720000
	28	रोहतास	74001	2107	21070000
	29	बक्सर	75001	477	4770000
	30	भभुआ	76001	527	5270000
मगध	31	गया	81001	2128	21280000
	32	नवादा	82001	1513	15130000
	33	औरंगाबाद	83001	1942	19420000
	34	जहानाबाद	84001	592	5920000
	35	अरवल	85001	971	9710000
सारण	36	सारण	91001	1656	16560000
	37	सीवान	92001	884	8840000
	38	गोपालगंज	93001	918	9180000
		कुल योग		**42963**	**429630000**

(रू० बेयालिस करोड़ छियान्वे लाख तीस हजार)मात्र

पत्रांक– 11 दिनांक–28/02/17 का अनु०

सरकार के सचिव।